

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.- 139/2024

राजेन्द्र सहारण पुत्र डूंगर मल सहारण जाति जाट निवासी जिगसाना ताल तहसील तारानगर
जिला चूरु।

- वादी -

बनाम
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- प्रतिवादी -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

संशोधित निर्णय

दिनांक 24.02.2025

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2025 के पैरा संख्या 03 में कृषि भूमि रोही मौजा ब्राह्मणवासी तहसील तारानगर के खसरा सं. 250/131 तादादी 1.9600 हेक्ट., खसरा सं. 253/131 तादादी 5.8167 हेक्ट. कुल तादादी 7.7767 हेक्ट. लिपिकीय भूल से अंकित हो गया है जबकि इसके स्थान पर कृषिभूमि रोही मौजा भालेरी तहसील तारानगर के खसरा सं. 508/226 तादादी 18.3353 हेक्ट. व रोही जिगसाना टिब्बा के खसरा सं. 119 तादादी 2.6302 हेक्ट., खसरा सं. 186 तादादी 3.4268 हेक्ट., खसरा सं. 187 तादादी 2.0738 हेक्ट., खसरा सं. 188 तादादी 2.0485 हेक्ट. कुल तादादी 10.1793 हेक्ट. तथा रोही जोरजी का बास के खसरा सं. 366/142 तादादी 2.4026 हेक्ट., खसरा सं. 367/248 तादादी 8.3457 हेक्ट. कुल तादादी 10.7483 हेक्ट. अंकित किया जाना था।

अतः कृषि भूमि रोही मौजा ब्राह्मणवासी तहसील तारानगर के खसरा सं. 250/131 तादादी 1.9600 हेक्ट., खसरा सं. 253/131 तादादी 5.8167 हेक्ट. कुल तादादी 7.7767 हेक्ट. के स्थान पर कृषिभूमि रोही मौजा भालेरी तहसील तारानगर के खसरा सं. 508/226 तादादी 18.3353 हेक्ट. व रोही जिगसाना टिब्बा के खसरा सं. 119 तादादी 2.6302 हेक्ट., खसरा सं. 186 तादादी 3.4268 हेक्ट., खसरा सं. 187 तादादी 2.0738 हेक्ट., खसरा सं. 188 तादादी 2.0485 हेक्ट. कुल तादादी 10.1793 हेक्ट. तथा रोही जोरजी का बास के खसरा सं. 366/142 तादादी 2.4026 हेक्ट., खसरा सं. 367/248 तादादी 8.3457 हेक्ट. कुल तादादी 10.7483 हेक्ट. पढ़ा जावें। शेष आदेश यथावत रहेगा। यह निर्णय मूल निर्णय दिनांक 28.01.2025 का भाग रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

संशोधित निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर



Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)